प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर

एकलपीठः - माननीय श्री दिलीप राव साहब, न्यायमूर्ति

दांडिक पुनरीक्षण (पी0 आर0) क्र. 580/2007

अतुल सिंह

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

दिनांक 26.06.2007 को सूचीबद्ध करें

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायमूर्ति

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर

एकलपीठः - माननीय श्री दिलीप राव साहब, न्यायमूर्ति

दांडिक पुनरीक्षण (पी0 आर 0) क्र. 580/2007

आवेदक : **अतुल सिंह, पिता स्व. सत्यनारायण सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी – बाबू पारा, अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा (छ. ग.)**

//

बनाम//

अनावेदक : **छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा (छ. ग.)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397 सहपठित धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः आवेदक हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर सहित श्री आदिल मिंज उपस्थित।
अनावेदक हेतु श्री अखिल अग्रवाल पेनल अधिवक्ता
आपत्तिकर्ता हेतु श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.06.2007 को पारित

श्री एन.डी. तिगाला, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर (सरगुजा) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 409/2005 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अमित एवं अन्य) में दिनांक 18-01-2007 को पारित आदेश जिसमें आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-ख के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे, से व्यथित होकर आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 सहपठित धारा 401 के अंतर्गत यह दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

2) संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 25-06-2005 को अपराह्न लगभग 3.20 बजे, जगमोहन सिंह, जो लालबाबू हत्याकांड में अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह थे, को अंबिकापुर न्यायालय परिसर में गुड्डू सिंह उर्फ विनोद सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि लालबाबू हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त, आवेदक अतुल सिंह ने सह-अभियुक्त शुभकरण द्विवेदी, जो उसके साथ जिला जेल, अंबिकापुर में निरुद्ध था, के साथ मिलकर मुख्य गवाह जगमोहन सिंह को खत्म करने की आपराधिक षड़यंत्र रची। इसके लिए शुभकरण द्विवेदी ने एक पेशेवर शूटर विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का इंतजाम किया। गुड्डू सिंह उर्फ विनोद सिंह के लिए अंबिकापुर के माया लॉज में एक कमरा बुक किया गया था, जिसका खर्च आवेदक अतुल सिंह को उठाना था। अतुल सिंह ने माया लॉज के प्रबंधक को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वह लॉज में गुड्डू सिंह के ठहरने का खर्च वहन करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों में, गवाहों ने निम्नानुसार खुलासा किया: (i) माया लॉज के प्रबंधक बलसाईराम ने खुलासा किया कि आवेदक ने अपने प्रबंधक के माध्यम से बताया था कि वह दिनांक 29-04-2005 को माया लॉज, अंबिकापुर में गुड्डू सिंह के ठहरने के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है । (ii) राहुल शर्मा ने खुलासा किया कि विनोद सिंह ने उसे बताया था कि जेल में बंद अतुल सिंह उसका सारा खर्च वहन कर रहा है। (iii) - संजीत त्रिपाठी ने खुलासा किया कि शुभकरण द्विवेदी और गुड्डू सिंह के कहने पर, उसने एक मोटर साइकिल खरीदी थी, जिसे गुड्डू सिंह चलाता था, जो जेल में शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह से मिलता था। (iv) अतुल सिंह द्वारा माया लॉज के प्रबंधक को दिनांक 25-06-2005 को लिखा गया पत्र भी बलसाईराम से जब्त किया गया था। (v) मिंटू सिंह ने खुलासा किया कि शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह; अंबिकापुर जेल में बंद रहने के दौरान, वे अक्सर एक-दूसरे से बात करते देखे जाते थे। (vi) कृष्ण मोहन सिंह ने खुलासा किया कि अतुल सिंह के कहने पर उत्तर प्रदेश और बिहार से दर्जनों लोग न्यायालय परिसर में आते थे और उनके भाई जगमोहन सिंह ने उन्हें बताया था कि अतुल सिंह आरोपियों के माध्यम से गवाहों को धमका रहे थे, जिन्हें जमानत दे दी गई। (vii) अभियोजन पक्ष ने एक दस्तावेज भी दाखिल किया, जो जगमोहन सिंह द्वारा दिनांक 24-06-2005 को पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर (सरगुजा)

को शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह द्वारा झारखंड और उत्तर प्रदेश के अपने सहयोगियों के माध्यम से उनकी हत्या की आशंका के बारे में दिया गया एक आवेदन होने का दावा करता है।

(4) उपरोक्त सामग्री के आधार पर, श्री एन.डी. तिगाला, तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने अतुल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-ख के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाया और उपर्युक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित किए।

(5) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचारण शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 12-13 गवाहों से भी पूछताछ हो चुकी है। विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल ने इस बात पर भी कोई विवाद नहीं किया है कि जगमोहन सिंह द्वारा दिनांक 24-06-2005 को दिया गया आवेदन, जो अभियोग-पत्र के साथ दायर किया गया था, केस डायरी का हिस्सा नहीं था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया कि केस डायरी से यह पता नहीं चलता कि जगमोहन सिंह द्वारा दिनांक 24-06-2005 को पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर (सरगुजा) को ऐसा कोई आवेदन दिया गया था। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि **लालू प्रसाद @ लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य सीबीआई (एएचडी) के माध्यम से पटना, 2006(4) अपराध 419 (एससी)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के लिए आरोप विरचित करने से पहले कारणों को दर्ज करना अनिवार्य नहीं था और न्यायालय को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख सहपठित धारा 302 के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में एक राय बनाने की आवश्यकता थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने तर्क किया कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त सामग्री को भी उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, तो भी आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (सहित धारा 120-ख) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि अभिलेखों में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाए कि आवेदक ने एक पेशेवर शूटर विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को किराये पर लेकर मुख्य गवाह जगमोहन सिंह को खत्म करने के लिए

आपराधिक षड़यंत्र रचा था। यह तर्क दिया गया कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (सहित धारा 302) के अंतर्गत आरोप को पुष्ट करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह अनिवार्य था कि वह ऐसी सामग्री प्रस्तुत करे जिससे यह पता चले कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों को मिलाकर यह दर्शाया गया है कि षड़यंत्रकारियों के बीच अवैध तरीकों से किसी अवैध कार्य या ऐसे कार्य को करने के लिए सहमति थी जो अवैध नहीं था। अभियोजन पक्ष ने यहाँ-वहाँ कुछ अंशों पर भरोसा किया, जो आवेदक अतुल सिंह को आपराधिक षड़यंत्र के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। **केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन व अन्य, (2000) 8 एससीसी 203 और के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 5437** पर भरोसा किया गया।

(7) दूसरी ओर, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल ने **केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन व अन्य, (2000) 8 एससीसी 203 और के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 5437** पर भी भरोसा जताया, जबकि उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक षड़यंत्र का तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जा सकता है और चूँकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष की ओर संकेत परिलक्षित करते है कि शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह के बीच जगमोहन सिंह, जो इस मामले में मुख्य गवाह थे, को खत्म करने के लिए एक अनुबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। लाईबाबू हत्याकांड में, पेशेवर शूटर विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को इस काम के लिए लाया गया था, आवेदक अतुल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-ख के तहत आरोप विरचित करने के विरुद्ध पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(8) परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दायर दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया है।

(9) भारतीय दंड संहिता की धारा 120-क के तहत आपराधिक षड़यंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

धारा। 120-क: "आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा।

- जबकि दो या अधिक व्यक्ति, -

(1) कोई अवैध कार्य अथवा,

(2) ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है:

परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या एक से अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण। - यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है, या उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) **भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1965 एससी 682** में, यह अधिनिर्णीत किया गया कि षड़यंत्र का सार यह है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए जो धारा के अंतर्गत वर्णित कार्यों में से कोई एक कार्य करें। उक्त अनुबंध को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है या पक्षकारों के कार्यों या आचरण से अनुमान लगाया जा सकता है। षड़यंत्र के अपराध और किसी अन्य अपराध के प्रमाण के तरीके में कोई अंतर नहीं है और इसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। **बाबूराव बलराव पाटील बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1971) 3 एससीसी 432** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक षड़यंत्र के अपराध शायद ही कभी षड़यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने आता होगा । षड़यंत्र अपने मूल स्वरूप से ही पूर्ण गोपनीयता में समझा और रचा जाता है, अन्यथा पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। **नजीर खान एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य, एआईआर 2003 एससी 4427** में, यह देखा गया कि निजता और गोपनीयता, में सार्वजनिक दृश्य के लिए खुले किसी ऊँचे स्थान पर ज़ोरदार चर्चा की तुलना में, षड़यंत्र के अधिक लक्षण हैं। किसी षड़यंत्र के प्रमाण में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद, षड़यंत्र के अपराध को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के निर्माण की तिथि, षड़यंत्र के निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्तियों, उस उद्देश्य के बारे में, जिसे आपत्तिकर्ताओं ने षड़यंत्र के उद्देश्य के रूप में अपने सामने रखा है, और जिस तरीके से षड़यंत्र के उद्देश्य को अंजाम दिया जाना है, उसके बारे में सकारात्मक साक्ष्य देना हमेशा संभव नहीं होता है, यह सब

अनिवार्य रूप से निष्कर्ष का विषय है। **सुमन सूद @ कमल जीत कौर बनाम राजस्थान राज्य, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2965/2006**, जिस पर दिनांक 14-05-2007 को निर्णय हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि षड़यंत्र के बारे में निष्कर्ष आसपास की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः षड़यंत्र का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। **ई.के. चंद्रसेनन बनाम केरल राज्य, एआईआर 1995 एससी 1066** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक षड़यंत्र अपने स्वभाव से ही खुलेआम नहीं रचा जाता, बल्कि गुप्त रूप से योजनाबद्ध होता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी सिद्ध किया जा सकता है। और षड़यंत्र से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव का कोई परिणाम नहीं है। **मोहम्मद उस्मान मोहम्मद हुसैन मनियार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1981 एससी 1062** में, यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत किसी अपराध के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधियों ने अवैध कार्य करने या करवाने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की थी, अनुबंध को आवश्यक निहितार्थ द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। आपराधिक षड़यंत्र का प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्ष्य आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता है और इसका अस्तित्व निष्कर्ष का विषय है। अनुमान सामान्यतः षडयंत्रकारियों के बीच एक समान उद्देश्य के अनुसरण में पक्षों के कार्यों से निकाले जाते हैं। **केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन और अन्य** (पूर्वोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि आपराधिक षड़यंत्र साबित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना चाहिए जो यह दर्शाए कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए सममति हुआ था। **के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य** (पूर्वोक्त) मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि षड़यंत्रकारियों के बीच सहमति का निष्कर्ष आवश्यक निहितार्थों द्वारा लगाया जा सकता है, यह निष्कर्ष केवल सिद्ध तथ्यों के आधार पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर ही लगाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और ऊपर वर्णित विधि के आलोक में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जाँच करने पर, निम्नलिखित परिस्थितियाँ सामने आती हैं:-

. कि अतुल सिंह, जो लालबाबू हत्याकांड के मुकदमे में मुख्य अभियुक्त था, और शुभकरण द्विवेदी को जिला जेल, अंबिकापुर (सरगुजा) में निरुद्ध किया गया था।

. कि मृतक जगमोहन सिंह उक्त लालबाबू हत्याकांड में मुख्य गवाह था।

. कि अतुल सिंह को अंबिकापुर के माया लॉज में गुड्डू सिंह उर्फ विनोद सिंह के ठहरने का पूरा खर्च वहन करना था।

. कि विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नियमित रूप से जेल में अतुल सिंह और शुभकरण द्विवेदी से मिलने जाता था।

. कि अतुल सिंह की उपस्थिति में, शुभकरण द्विवेदी ने गवाह से विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के लिए माया लॉज में एक कमरे की व्यवस्था करने को कहा था।

. कि अतुल सिंह ने माया लॉज के प्रबंधक को एक पत्र लिखा था कि वह गुड्डू सिंह के ठहरने का खर्च वहन करेगा।

. कि शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह को जेल में कैदियों द्वारा अक्सर किसी बात पर आपस में बात करते देखा जाता था।

. कि अतुल सिंह ने गवाह को धमकाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से कई लोगों को किराए पर लिया था।

. अतुल सिंह और शुभकरण द्विवेदी के कहने पर गुड्डू सिंह के लिए एक मोटर साइकिल की व्यवस्था की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि यदि जगमोहन सिंह का दिनांक 24-06-2005 को आवेदन को विचार में नहीं लिया जाता तो भी अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिससे प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लालबाबू मामले में मुख्य गवाह जगमोहन सिंह को खत्म करने के लिए शुभकरण द्विवेदी और अतुल सिंह के बीच आपराधिक षड़यंत्र रची गई थी। एक पेशेवर शूटर विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को भाड़े पर लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकार, यह तर्क कि अतुल सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-ख के तहत आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के लिए अभिलेख में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, अस्वीकार किए जाने योग्य है। उपरोक्त परिस्थितियों में ऊपर बताए गए सिद्धांतों से निकाले जा सकने वाले सिद्धांतों को लागू करते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि विचरण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड

संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 120-ख के तहत आरोप विरचित करना उचित था। इस प्रकार, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं है।

(13) यह दांडिक पुनरीक्षण, निराधार होने के कारण, तदानुसार खारिज किया जाता है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति
26.06.2007

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ... Niraj Baghel, Advocate